झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में

सी.एम.पी. संख्या 451/2019

जगत नारायण साहू

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत सरकार; सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली, के माध्यम से
2. अवर सचिव, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
3. निदेशक (पेंशन एवं कार्मिक), सीसीएल, रांची
4. मुख्य प्रबंधक, सीसीएल, गिरिडीह परियोजना बनियाडीह, गिरिडीह
5. आयुक्त, कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद
6. क्षेत्रीय आयुक्त, सीएमपीएफ, रांची
7. परियोजना अधिकारी, गिरिडीह कोलियरी, गिरिडीह

.....उत्तरदातागण

.....

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह

.....

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री उदयकांत ठाकुर, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं की ओर से : श्री लक्ष्मण कुमार, सी.जी.सी

.....

04 /31.01.2020 दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

याचिकाकर्ता ने डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 2438/2018 की बहाली की मांग की है, जिसे 23.10.2018 के अनिवार्य आदेश का पालन न करने के कारण खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह रिट याचिका सेवानिवृत्ति लाभों के दावे से संबंधित है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता गंभीर रूप से बीमार थे, इसलिए जब मामले को अन्य मामलों के साथ सुना गया तो याचिकाकर्ता की पैरवी नहीं की जा सकी।

हालांकि, याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं है और अगर रिट याचिका को बहाल नहीं किया जाता है तो उसे अपूरणीय क्षति होगी।

भारतीय सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता इस प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं करते हैं।

दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार करने के बाद और आवेदन में किए गए निवेदनों के आधार पर डब्ल्यू.पी.(एस). संख्या 2438/2018 को मूल फ़ाइल में पुनर्बहाल किया जाता है। आज से दो सप्ताह के भीतर रिट याचिका के दोषों को दूर कर लिया जाए।

सी.एम.पी. का निस्तारण किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, जे.)

ए. मोहंती